न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :–171/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2022/210

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नन्दलाल पुत्र भंवरलाल जाति पुरोहित निवासी संजय कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।		राजस्थान सरकार द्वारा पटवारी हल्का नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

दिनांक :– 12.09.2023

:: निर्णय ::

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 सरकार जरिये पटवारी हल्का नागौर बनाम नन्दलाल में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि जनवरी–फरवरी 2022 में कोविड महामारी के कारण न्यायालयो में प्रभावी कार्यवाही नही हो रही थी और मार्च 2022 में जिला अधिवक्ता संघ नागौर द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया था, इसीलिए 08.03.2022 को अपीलांट ने अपने भाई के मार्फत जवाब मय दस्तावेजात योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिये गये, जिस समय यह सूचित किया गया था कि अधिवक्ता संघ नागौर द्वारा जब भी कार्य सुचारू किया जायेगा, उसके पश्चात ही इस प्रकरण में आगे कार्यवाही हो सकेगी और इस विश्वास के कारण अधिवक्ता संघ नागौर द्वारा पुनः मई 2022 में कार्य सुचारू किया गया। तब तहसीलदार नागौर के न्यायालय में इस प्रकरण के संबंध में और अन्य विचाराधीन प्रकरणो के संबंध में जानकारी चाही तो यह ज्ञात हुआ कि कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं, कुछ मामलो का निस्तारण किया गया हैं, लेकिन जिन मामलो का निस्तारण किया गया हैं, उनकी कोई भी तिथि उपलब्ध नही करवाई गई। अंततः 20 मई 2022 को अपीलांट को यह जानकारी हुई कि उसके प्रकरण में दिनांक 21.03.2022 को ही उसका पक्ष सुने बिना एक पक्षीय निर्णय कर दिया गया है। जिससे प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। उपरोक्त परिस्थितियों में जब मामले में अपीलांट को साक्ष्य, सबूत और सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही प्रदान नही किया गया और जैसे ही उसे जानकारी हुई है कि उसके मामले में निर्णय कर दिया गया है तो अपीलांट ने निर्णय जेर अपील की नकल दिनांक 20.05.2022 को प्राप्त की और नकल मिलने पर जानकारी होते ही अपीलांट यह अपील पेश किये जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में किये गये कथनों के संबंध में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, नागौर के न्यायालय से दिनांक 01.02.2022 को एक नोटिस अपीलांट को जारी करते हुए खसरा नम्बर 265 गैर मुमकिन तालाब के 3960 वर्गफुट क्षेत्रफल में कृषि वर्ष 2078 के दौरान नागौर की भूमि में अतिचार किये जाने का जारी किया गया। जिसमे दिनांक 21.02.2022 को अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवा दी गई और प्रकरण सुनवाई सबूत हेतु दिनांक 08.03.2022 को नियत किया गया। अपीलांट ने अपने भाई सत्यनारायण राजपुरोहित के मार्फत दिनांक 08.03.2022 को जवाब और दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिये। तत्पश्चात अपीलांट को सुने बिना ही दिनांक 21.03.2022 को प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट को कृषि वर्ष 2078 के दौरान 3960 वर्गफुट क्षेत्रफल पर अतिचार करने का नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका समुचित जवाब अपीलांट की ओर से योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमे विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि खसरा नम्बर 265 गैरमुमकिन तालाब के किसी भी भू भाग पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है न ही उसने ऐसी किसी भूमि पर कभी कब्जा ही किया हैं अपितु 19.11.1994 को अपीलांट ने श्रीमती उषा पत्नि सुनील कुमार माहेश्वरी सोनी से रूपान्तरणसुदा आवासीय प्लोट खरीद कर नगरपालिका मण्डल नागौर से अनुमति प्राप्त कर वर्ष 2002 में लगभग डेढ़ साल तक निर्माण कार्य करवाकर सम्पूर्ण निर्माण पूरा किया है। जिसका कोई भी खण्डन पटवारी हल्का द्वारा नही किया गया। इन तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश कर दिया जाने के बावजूद जबाब के तथ्यों को निर्णय में कहीं अंकन नहीं किया गया एवं प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय जेर अपील पारित करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी और वाक्याती गलती की है।

अपीलांट ने जिस भूमि पर निर्माण किया हैं, वह नगरपालिका क्षेत्र, नागौर की भूमि है। जिस भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण प्रकरण संख्या 91/1993 दिनांक 11.07.1993 को श्रीमती उषा के नाम से पटटा विलेख जारी कर पंजीबद्ध करवाया हुआ हैं, जिस भूमि को अपीलांट ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी से निर्माण अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया है और पिछले 28 वर्षो से कथित जायगा पर काबिज रहकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है, जो आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है और खसरा नम्बर 265 गैर मुमकिन तालाब का भाग नहीं हैं, जिस तथ्य पर गौर नही कर निर्णय जेर अपील पारित करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी और वाक्याती गलती की है।

अपीलांट जिस जायगा पर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को खरीदकर मकान बनाकर रह रहा है। वह जायगा नगरपालिका मण्डल नागौर की भूमि हैं, जिसके आस पास किसी भी प्रकार की कोई सरकारी भूमि नही हैं, न ही कृषि भूमि हैं, न ही उसके मकान के आसपास किसी भी प्रकार का कोई तालाब ही स्थित है। कथित जायगा पूर्ण रूप से आवासीय कॉलोनी हैं, जिसके आस पास विभिन्न सरकारी कार्यालय यथा जिला उद्योग केन्द्र, आईटीआई एवं अन्य मकान, व्यावसायिक स्थल, मंदिर आदि बने हुए है। रास्तो के अतिरिक्त कोई भी भूमि सरकारी भूमि नही हैं, जो भी भूमि सरकारी भूमि हैं, उन पर सरकारी कार्यालय बने हुए है। कोई भी गैर मुमकिन तालाब पिछले पच्चास सालो में अपीलांट के मकान के आस पास स्थित नही रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर कभी भी कोई अतिक्रमण नही किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना एकपक्षीय निर्णय कर दिया गया है। जिससे अपीलांट के हक अधिकारो पर कुठाराघात होकर वह न्याय से वंचित हुआ है। जिससे भी निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर इस मामले को कंटेस्ट करना शुरू कर दिया तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व विधि के प्रावधानों के अनुसार वह इस प्रकरण में शिकायतकर्ता संबंधित पटवारी हल्का का सशपथ परीक्षण करता और इस संबंध में अपीलांट को

कलक्टर नागौर

साक्ष्य सबूत जवाबदेही का अवसर देते हुए प्रकरण की तह तक जाकर प्रकरण में निर्णय करता। जिस सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही को दर किनार कर अपीलांट को सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना निर्णय जेर अपील पारित किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया है कि "केवल सीमा ज्ञान ही एक ऐसा आधार हैं, जो स्पष्ट करता है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमण गैर मुमकिन तालाब पर है अथवा नही" ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का यह विधिक और नैतिक दायित्व था कि वह मामले में स्थायी बिन्दू से मौके पर भौतिक रूप से सीमा ज्ञान करवाकर ऐसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलांट को उपलब्ध करवाकर और उसके संबंध में उसे साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान करके निर्णय पारित करते। कथित स्थिति उनके ध्यान में होने के बावजूद भी फिल्मसी आधार पर निर्णय जेर अपील पारित करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी और वाक्याती गलती की है।

निर्णय जेर अपील में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह अंकित किया है कि "अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनः सीमा ज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि कब्जा तालाब की भूमि में हैं तो अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्थान सरकार के नाम दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नही हैं, अतः बेदखल कर दिया जावे" उपरोक्त शर्त की पालना करते हुए भूमि अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना जाकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोषी मानकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून और तथ्यो के विपरीत है। निर्णय करते समय भी ऐसी कोई साक्ष्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष नही थी कि अपीलांट ने किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय की फाईन्डिंग बहाल रखे जाने योग्य नही है। साथ ही साथ योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पडोसी खातेदारी भूमि के लगान दर के अनुसार 13 रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाने का निर्णय भी हर प्रकार से अनुचित और निराधार हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट जिस भूमि पर काबिज हैं, उसके आस पास किसी प्रकार की खातेदारी भूमि नही हैं, मौके पर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई हैं, जहां पर विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रहे है और पिछले पच्चास वर्षो से कथित भूमि के आसपास कोई मुमकिन तालाब का अस्तित्व नही रहा है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन तालाब पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट करना सरासर गलत है और उसके पश्चात सम्पूर्ण वस्तु स्थिति से दस्तावेजी साक्ष्य सहित वैध स्वामित्व और वैध कब्जा का तथ्य प्रकट कर दिये जाने पर भी बिना कोई कारण दर्ज किये निर्णय जेर अपील पारित करना खिलाफ कानून और तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील हाजा स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त करने और योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रकरण संख्या 15/2022 को अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट के मकान की भूमि नगरपालिका की आबादी भूमि में हैं तथा इस भूमि का नगरपालिका द्वारा विधिवत पट्टा उषादेवी को जारी किया था तथा उषा देवी से अपीलांट द्वारा कय किया गया हैं तथा मकान की विधिवत् स्वीकृत प्राप्त कर मकान का निर्माण कार्य करवाया गया हैं। इसलिए नगरपालिका की आबादी भूमि पर तहसीलदार को दफा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह भी तर्क दिया कि भूमि नगरपालिका में निहित हैं तथा इस भूमि पर विधिक प्रकिया से बाद अनुमति अपीलांट ने मकान बनाया हैं,इसलिए उसे उसके विधिक कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता हैं।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1976 पेज –09 एवं आर.आर.डी. 1991 पेज 591 की नजीरे पेश करते हुवे तहसीलदार,नागौर का जेर अपील आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 265 रकबा 3960 व. मी. किस्म गै.मु. तालाब की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का रहवासी मकान बनाकर नाजायज कब्जा करने की भू अभिलेख निरीक्षक नागौर से सत्यापित रिपोर्ट पटवारी नागौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम जोशी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अपीलान्ट की ओर से उसके भाई ने प्रकरण में जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 पारित कर अपीलान्ट पर शास्ति अधिरोपित करते हुए अतिक्रमीत भूमि से बदेखल करने का आदेश दिया, जो सही दिया गया हैं।

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी,नागौर द्वारा नियम 16 के तहत जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.7.93 श्रीमति उषा माहेश्वरी सोनी के नाम का प्रस्तुत किया, जिसके पृष्ठ संख्या–3 पर प्रार्थीनी श्रीमति उषा को मौजा नागौर के खसरा नम्बर 264 में 453.33 वर्गगज आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का उल्लेख है। इसके अलावा एक विकय पत्र दिनांक 19.11.94 की प्रति प्रस्तुत की, उक्त विकय पत्र श्रीमति उषा द्वारा श्री सत्यनारायण एवं नन्दलाल (अपीलान्ट) पुत्रगण भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया है, उक्त विकय पत्र में मौजा नागौर की आथूणी सरहद में स्थित खसरा नम्बर 264 में से 453.33 वर्गगज भूमि का बेचान है। जबकि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का,नागौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में मोजा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाबी की भूमि पर अपीलान्ट के अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा न्यायालय हाजा द्वारा भी हस्तगत प्रकरण में आदेश दिनांक 18.11.2022 से मौजा नागौर के कस्बा खसरा नम्बर 267 का मुस्तकिल प्वांईट से सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण नाप–चौक कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका एवं मौके के फोटोग्राफ के भिजवाने का तहसीलदार नागौर को आदेश दिया गया था। उक्त संबंध में तहसीलदार,नागौर ने अपने पत्रांक–823 दिनांक 13.03.2023 से कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265, 266 व 267 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत की है, जिसमे फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 के अनुसार अपीलान्ट नन्दलाल का मकान खसरा नम्बर 265 में आता है, जिसकी हस्तगत अपील संख्या–171/22 बताई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेज मौजा नागौर के खसरा नम्बर 264 के है, जबकि हस्तगत प्रकरण मौजा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाब की भूमि पर अतिकमण से संबंधित है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाब की भूमि पर उसका अतिकमण नहीं होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को राजपैरोकार पूर्णतः निराधार एवं सारहीन होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 265 रकबा 3960 व.मी. किस्म गै.मु. तालाब की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का रहवासी मकान बनाकर नाजायज कब्जा करने की भू अभिलेख निरीक्षक नागौर से सत्यापित रिपोर्ट पटवारी नागौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विकम जोशी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 पारित कर अपीलान्ट पर शास्ति अधिरोपित करते हुए अतिकमीत भूमि से बदेखल करने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा नियम 16 के तहत जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.7.93 श्रीमति उषा माहेश्वरी सोनी के नाम का प्रस्तुत किया, जिसके पृष्ठ संख्या–3 पर प्रार्थीनी श्रीमति उषा को मौजा नागौर के खसरा नम्बर 264 में 453.33 वर्गगज आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का उल्लेख है। इसके अलावा एक विकय पत्र दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

19.11.94 की प्रति प्रस्तुत की, उक्त विक्रय पत्र श्रीमति उषा द्वारा श्री सत्यनारायण एवं नन्दलाल (अपीलान्ट) पुत्रगण भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया है, उक्त विक्रय पत्र में मौजा नागौर की आथूणी सरहद में स्थित खसरा नम्बर 264 में से 453.33 वर्गगज भूमि का बेचान है। जबकि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का, नागौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में मौजा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाब की भूमि पर अपीलान्ट के अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा न्यायालय हाजा द्वारा भी हस्तगत प्रकरण में आदेश दिनांक 18.11.2022 से मौजा नागौर के खसरा नम्बर 267 का मुस्तकिल प्वांईट से सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण नाप–चौक कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका एवं मौके के फोटोग्राफ के भिजवाने का तहसीलदार,नागौर को आदेश दिया गया था। उक्त संबंध में तहसीलदार नागौर ने अपने पत्रांक–823 दिनांक 13.03.2023 से कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265, 266 व 267 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पेश की है, जिसमे फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 के अनुसार अपीलान्ट नन्दलाल का मकान खसरा नम्बर 265 में आता है, जिसकी हस्तगत अपील संख्या–171/22 बताई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेज मौजा नागौर के खसरा नम्बर 264 के है, जबकि हस्तगत प्रकरण मौजा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाब की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 265 गै.मु. तालाब की भूमि पर उसका अतिक्रमण नहीं होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

चूँकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना अधिरोपित करते हुए अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल का जो आदेश निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 से दिया है, वह पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं तत्पश्चात तहसीलदार नागौर द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित उपर्युक्तानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट से ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 265 रकबा 3960 व.मी. किस्म गै.मु. तालाब की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का रहवासी मकान बनाकर अतिक्रमण करने की पुष्टि होती है। अपीलान्ट द्वारा प्रतिरक्षण में जो दस्तावेज पेश किये है वह मौजा नागौर के खसरा नम्बर 264 से संबंधित है, जो हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 265 रकबा 3960 वर्गमीटर किस्म गैमु. तालाब की भूमि पर उसका अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा इस प्रकरण में पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में लागू नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि उन निर्णय के प्रकरणों से यह प्रकरण भिन्न तथ्यों से हैं। इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर मकान बनाया हैं,जबकि उन प्रकरण में एक प्रकरण में नगरपालिका की भूमि छोटी पट्टी की भूमि का मामला था तथा दूसरे प्रकरण में लीज भूमि के सम्बन्ध में अन्य पक्षकारों के मध्य आपस में विवाद था। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट की कय सुदा भूमि खसरा नम्बर 264 की भूमि में हैं तथा कब्जा अपीलांट का खसरा नम्बर 265 गै0मु0 तालाब की भूमि पर पाया गया हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 से अपीलान्ट को मौजा नागौर के खसरा नम्बर 265 रकबा 3960 व.मी. भूमि पर से बेदखल करने एवं अधिरोपित जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर नागौर